

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सैगरपुरा

मि. नं० 33/18
8.6.18

410
8/6/18

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सैगरपुरा व भू-अभिलेख निरीक्षक गजेश की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सैगरपुरा तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 19 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सैगरपुरा	19	इन्दर लाल अमृत लाल पि. कन्दू कंचनवाड़ी प्रेम वाई पुत्रिया कण्डू हि. व. हि. 1/2 रामचरण बुद्ध पि. मवाली हि. 2/6 रामलाल राजवीर जमनालाल पि. मूलचन्द गंगावाई पुत्री मूलचन्द सामन्ती देवी देवा मूलचन्द हि. व. हि. 1/6 कौम चमार सादे हि. व. ना. नं. 1004	इन्दर लाल अमृत लाल पि. कन्दू कंचनवाड़ी प्रेम वाई पुत्रिया कण्डू हि. व. हि. 1/2 रामचरण बुद्ध पि. मवाली हि. 2/6 रामलाल राजवीर जमनालाल पि. मूलचन्द गंगावाई पुत्री मूलचन्द सामन्ती देवी देवा मूलचन्द हि. व. हि. 1/6 कौम जादे सा. देह हि. व. ना. नं. 1004

(8/06/18)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प सैगरपुरा
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
को सचनार्थ।